न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 51/2022
(GCMS 2022/189)(21245953973l888)

सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह निवासी 18 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 97820—13333)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, (एस.डी.एम.), सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखविन्द्र सिंह एवं उनके अधिवक्ता श्री अरविन्द्र सिंह को बार–बार आवाज़ लगाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), सादुलशहर के समक्ष दिनांक 18.07.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुखविन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18. 07.21 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> केसरीसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र 1080 भाग सं. 77 क्र.स. 642, 643 पर नाम बचन कौर/लाभ सिंह व मलककौर/लाभ सिंह अंकित है जो सन् 2013 पर वि.स. क्षेत्र सादुलशहर भाग सं. 54, क्रम सं. 662 पर बचन कौर/लाभ अंकित है। वि.स. क्षेत्र सादुलशहर सन् 2014, क्रम सं. 682 पर नाम बचन कौर/लाभ सिंह के स्थान पर करतार कौर/लाभ सिंह अंकित है। उसके बाद चुनावों के अंदर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:26 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> बचन कौर के स्थान पर करतारकौर/लाभ सिंह अंकित है। यह नाम किन किन दस्तावेजों के आधार पर परिवर्तन किया गया है। समस्त दस्तावेजों, हलफनामा आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि नाम परिवर्तन के पत्रावली, रिपोर्ट की तस्दीक की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.) सादुलशहर ने अपने पत्रांक निर्वा/2022/1896 दिनांक 02.08.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री सुखविन्द्र सिंह द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस कार्यालय से प्रार्थी द्वारा विधानसभा क्षेत्र 1080 भाग संख्या 77, क्रम संख्या 642, 643 पर नाम बचन कौर/लाभ सिंह, मलककौर/लाभा सिंह अंकित है जो 2013 पर वि.सभा क्षेत्र सादुलशहर भाग सं. 54 क्रम संख्या 662 पर बचन कौर/लाभ सिंह अंकित है। विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर सन् 2014, क्रम संख्या 682 पर नाम बचन कौर पत्नी लाभ सिंह के स्थान पर करतार कौर/लाभ सिंह अंकित है। उसके बाद चुनावों के अंदर बचन कौर के स्थान पर करतार कौर/लाभ सिंह अंकित है, यह नाम किन किन दस्तावेजों के आधार पर परिवर्तन किया गया है। समस्त दस्तावेजों, हलफनामा आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी।
>
> इस संबंध में बचन कौर पत्नी [illegible]ह को इस कार्यालय के पत्रांक 1669 दिनांक 22.08.2022 [illegible] लिखा गया कि सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह द्वारा आपके मत में संशोधन हेतु फार्म नं. 8 के साथ दस्तावेजों की प्रतिलिपि मांगी गई है। सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त सूचना दिये जाने से पूर्व आपकी सहमति आवश्यक है।

दिनांक 27.06.2022 को **प्रार्थीया करतार कौर पत्नी लाभ सिंह निवासी वार्ड नं. 12 मटीलीराठान ने जरिये पुत्र अपना प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया अपने होशो हवास में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि अप्रार्थी(अपीलार्थी) को देने के लिए असहमति व्यक्त करती है।**

सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना उसकी सहमति के बिना नहीं दी जा सकती है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(एस.डी.एम.), सादुलशहर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपील को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन** रजिस्ट्रीकरण **पदाधिकारी (एस.डी.एम.), सादुलशहर द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन** रजिस्ट्रीकरण **पदाधिकारी (एस.डी.एम.), सादुलशहर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:26 IST
Reason: SelfAttested